



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052020-219369
CG-DL-E-14052020-219369

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2020/वैशाख 24, 1942

No. 172]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2020/VAISAKHA 24, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सं.वी-33/13/11/2002-स्था.IV.—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4, दिनांक 30 जुलाई, 2018 में प्रकाशित सं वी-33(13)11/2002-स्था.IV, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा यथा गठित ओडिशा राज्य के क्षेत्रीय बोर्ड में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

उक्त अधिसूचना में विनियम 10(1) का परंतुक के अंतर्गत कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि के रूप में क्र. सं. 10 के बदले निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	संबंधित विनियम
10	श्री सत्य रंजन पटनायक, आर. सी. दास लेन, कानापल्ली, ब्रह्मापुर, ओडिशा	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक

पी. बी. मणि, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./29/2020-21]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2020

No. V-33(13)11/2002-E. IV.—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulations, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby makes the following amendments to the Regional Board for State of Odisha as constituted *vide* No. V-33(13)11/2002-E. IV dated: 26th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, part-III, Section-4 dated the 30th July 2018.

In the said notification under Proviso to Regulation 10(1) as Employees' Additional representative against Sl. No. 10, the following entry shall be substituted namely:

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
10	Shri Satya Ranjan Patnaik, R. C. Das Lane, Kanapalli, Brahmapur, Odisha	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)

P. B. MANI, Insurance Commissioner
[ADVT./III/4/Exty./29/2020-21]